कार्यवाही विवरण

मेसर्स सत्या पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गतोरी एवं सेन्दरी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के Proposed expansion of Steel Plant - DRI Kilns (Sponge Iron from 90,000 TPA to 4,86,000 TPA), New Induction Furnace with matching LRF & CCM (Billets/Ingots/Hot Billets)- 2,97,000 TPA, New Rolling Mill (TMT Bars/Structural Steel) 2,64,000 TPA, New Ferro Alloys Unit 2x9 MVA (FeMn- 50,400 TPA/SiMn - 28,800 TPA/FeCr- 30,000 TPA/FeSi- 14000 TPA), New WHRB Based Power Plant- 34 MW & New AFBC Based Power Plant- 30 MW, New Brick Manufacturing unit- 50,000 Bricks/day, New Slag Crushing Unit - 100 TPD & New Briquetting Unit - 200 Kg/hour के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 07/07/2022 को समय दोपहर 12:00 बजे स्थान–ग्राम–गतौरी, तहसील–बिलासपुर, प्राथमिक–माध्यमिक शाला मैदान, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स सत्या पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गतोरी एवं सेन्दरी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के Proposed expansion of Steel Plant - DRI Kilns (Sponge Iron from 90,000 TPA to 4,86,000 TPA), New Induction Furnace with matching LRF & CCM (Billets/Ingots/Hot Billets)- 2,97,000 TPA, New Rolling Mill (TMT Bars/Structural Steel) 2,64,000 TPA, New Ferro Alloys Unit 2x9 MVA (FeMn- 50,400 TPA/SiMn - 28,800 TPA/FeCr- 30,000 TPA/FeSi- 14000 TPA), New WHRB Based Power Plant- 34 MW & New AFBC Based Power Plant- 30 MW, New Brick Manufacturing unit- 50,000 Bricks/day, New Slag Crushing Unit - 100 TPD & New Briquetting Unit - 200 Kg/hour के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 06.06.2022 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र बिजनस स्टैण्डर्ड, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 06.06.2022 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 07/07/2022 को समय दोपहर 12:00 बजे स्थान–ग्राम–गतौरी, तहसील–बिलासपुर, प्राथमिक–माध्यमिक शाला मैदान, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिल्हा/बिलासपुर, जिला–बिलासपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर, क्षेत्रीय

कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत गतौरी व सेंदरी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 07/07/2022 को समय दोपहर 12:00 बजे स्थान–ग्राम–गतौरी, तहसील–बिलासपुर, प्राथमिक–माध्यमिक शाला मैदान, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री आर. एस. कुरवंशी, अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री सुधीर सिंग, पायनियर इन्वायरो लेब्रोट्रीज एण्ड कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद के द्वारा मेसर्स सत्या पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गतोरी एवं सेन्दरी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री सहेत्तर जोगी, ग्राम–कछार** :– 2004 से सत्या पॉवर प्लांट बना है। जब से हम वहां 250 आदमी काम कर रहे है। हम रोजी के लिए दर–दर भटक रहे थे। जब से पॉवर प्लांट बना है, तब से हमारा 250–300 आदमी का पेट चल रहा है। बाल बच्चा जी रहा है। हम सत्या पॉवर प्लांट को बंद नहीं होने देंगे। बल्कि हम मालिक से और अनुरोध करेंगे। एक प्लांट और डालें। जहां 300 वर्कर काम कर रहे है वहां 600 वर्कर काम करेंगे। हम यहां वहां तरस रहे है। तो हम सत्या पॉवर प्लांट को बंद नहीं होने देंगे। एक प्लांट और डालेगा। मैं इतना बोलना चाहता हूॅ।

2. **श्री राम खिलावन, ग्राम–गतौरी** :– सत्या पॉवर में 7 साल हो गया काम करते, और फैक्ट्री खोला जाय। चालू हो जाये। 250 लेबर काम कर रहे है। हमको खुशी है तकलीफ नहीं है।

3. **श्री कौशल प्रसाद, ग्राम–जाली** :– मैं 5 साल से सत्या पॉवर में काम कर रहा हूॅ। मैं इनका समर्थन करता हूॅ और यहां प्लांट लगना चाहिए। जो बेरोजगार भाई है उनको और काम मिलेगा। मैं इनका समर्थन करता हूॅ।

4. **श्री महेश बंजारे, ग्राम–कछार** :– सत्या पॉवर प्लांट में काम करथव। रोजी मजदूरी बढिया मिलत थे। हमन ला, रोजगार मिल गये हे, ऐकर साथ ही साथ हमन चाहथव कि हमन ला एक और प्लांट मिलना चाहिए। ताकि हमन, जनता मन, सुघर जीयत खाय।

5. **श्री संतोष कुमार, ग्राम–कछार** :– सत्या पॉवर प्लांट में हमन काम करत हव। हमर हिसाब से एक और प्लांट खुलना चाहिए। सब मजूदर भाई अपन काम करही।

6. **श्री दुर्गेश कुमार साहू, ग्राम–पोडी** :– मैं प्लांट का सपोट करता हूॅ क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। प्लांट खोलने से ही रोजगार मिल सकता है।

बेरोजगारी की बहुत समस्या है। इतना पढा लिखा, मैं क्या करू। प्लांट आने से मुझे रोजगार मिला है और आगे प्लांट बनना चाहिए। मेरे भाईयों को रोजगार मिलेगा।

7. **<u>श्री शैलेष पाटिल, ग्राम–लोखण्डी</u>** :– जितने आदमी है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। मैं प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

8. **<u>श्रीमती नीरा जोगी, ग्राम–कछार</u>** :– हमन ला रोजगार अच्छा मिले हवय। प्लांट खुलना चाहिए। हमन ला कोई दिक्कत नहीं हवय।

9. **<u>श्री संतोष कुमार वर्मा, ग्राम–बिलासपुर</u>** :– सत्या पॉवर प्लांट है, रोजगार देने वाला प्लांट है। इसका विस्तार होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूॅ।

10. **<u>श्री सचिन सिंह ठाकुर, ग्राम–रमतला</u>** :– आज के समय में बेरोजगार बहुत बढ़ चुका है। जो कि सत्या पॉवर से हमको काम मिल सकता है। सभी को काम मिल जायेगा। बेरोजगारी बहुत है। जो कि हमें सत्या पॉवर प्लांट दे रहा है।

11. **<u>श्री संतोष लोनिया, ग्राम–गतौरी</u>** :– गतौरी प्लांट एरिया है, यहां गांव के आसपास के लोगों के अतिरिक्त कई राज्यों के लोगों का जीवन यापन हो रहा है और प्लांट से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है।

12. **<u>श्री शत्रुहन सिंह ठाकुर, ग्राम–गतौरी</u>** :– हमारे गांव में प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है और यहां रोड़ बन गया है। सत्या पॉवर स्थापित है, हमको आने जाने में दिक्कत होती थी। जब से प्लांट खुला है। ग्राम का विस्तार हो रहा है। गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है और प्लांट खुलने से हमको आसपास व ग्राम के लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे गांव का प्रगति होगा। हम सहमत है प्लांट खुलने से।

13. **<u>श्री रामेश्वर लोनिया, ग्राम–गतौरी</u>** :– इस ग्रामसभा में सभी आकर उपस्थित होवे। हमारे ग्राम पंचायत गतौरी में जो भी कार्य स्थगित होता है तो ग्रामवासियों को

नौकरी मिलने के उपस्थिति होना चाहिए। ये नहीं कोई रमतला, चमतरा, कछार, सेंदरी के लोग बोल रहे है उनका कोई अधिकार नहीं है। **उनके द्वारा माईक पर आकर पुनः दोबारा यह कथन कहा गया है।**

बस इतना ही शिकायत है कि जिस चीज उद्योग के लिए लगाया जा रहा है इसमें ग्रामवासियों को फायदा है। दूसरी एक चीज सरपंच जिस चीज के लिए एनओसी दे रहे है पहली सरपंच ये झाक कर देखे कि ग्राम गतौरी के अंदर मैं रामेश्वर लोनिया जो बोल रहा हूं मेरे ग्राम के अंदर मेरे मोहल्ले के अंदर एक नल भी नहीं है जो पूर्व सरपंच ने एक नल खोदवाकर दिया था उसको भी बंद कर दिया और ये उद्योग की बात करता है। कौन से उद्योग करेगा ये। हमारा इसमें कोन सा अच्छाई होगा। हमारे ग्रामवासियों को बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलेगा करके ये हमको गुमराह में रखता है। इसको हमको कोई समर्थन नहीं है इस सरपंच को। जो हमारे पानी तक को छीन सकता है कल हमारे जिंदगी भी छीन सकता है और उसके बाद ये करूंगा, ओ करूंगा, करके कहता है, कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपना जेब भरता है। इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा।

14. **<u>श्री राधेश्याम शर्मा, समाजिक कार्यकर्ता, रायगढ़</u>** :– मैं मेसर्स सत्या पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गतौरी में जो आज जनसुनवाई है, उसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। मेरा विरोध करने का जो कारण है। वो संवैधानिक और कानूनी पर है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी बैठे हुये है और बिलासपुर जिले में ये चौथी जनसुनवाई है और पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन कराया जा रहा है। ये सबसे बडे दुर्भाग्य की बात है, माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, जिला दण्डाधिकारी महोदय के पद पर है और न्यायिक और प्रशासनिक पद पर सर्वोच्च है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी बैठे हुये है और बिलासपुर जिला में ये चौथी जनसुनवाई है। जो पर्यावरण विधि का उल्लंघन कर कराया जा रहा है। ये सबसे बडे दुर्भाग्य की बात है। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, जिला दण्डाधिकारी महोदय के पद पर है। और न्यायिक और प्रशासनिक पद पर सर्वोच्च है। अगर उनकी जानकारी में ये जनसुनवाई हो रही है, और विधि के विपरीत हो रही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 14 सितम्बर 2006 को जो अधिसूचना पर्यावरण मंत्रालय से जारी की गई है। भारत सरकार के द्वारा उसमें जनसुनवाई के लिए एक विहित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन करना पर्यावरण विभाग का, राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, जरूरी है। क्योंकि कानून से बडा कोई नहीं है। मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में पर्यावरण विभाग और

प्रशासनिक अमला राजनीतिक दबाव में कानून का उल्लंघन कर रहा हैं। अगर ये जनसुनवाई विधि सम्मत होती तो इस ग्रामपंचायत का ग्रामसभा का अनुमोदन या एनओसी आपके पास होता। ग्रामपंचायत सर्वोपरी है। ग्रामपंचायत की जो शक्ति है। उसमें न्यायपालिका का भी दखल नहीं है और माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, अगर इस ग्राम पंचायत में ग्रामसभा में अनुमोदित करके आपको आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो आप ये जनसुनवाई नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। इस प्लांट के 10 कि.मी. के रेडियस में 10 कि.मी. के वायु सीमा में जितने ग्राम पंचायत है उन सभी में ईआईए रिपोर्ट जनता के अवलोकन के लिए जाना चाहिए था। उसमें आम जनता इस प्लांट से इस परियोजना से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। कितने वाहन चलेंगे, कितना ध्वनि प्रदूषण होगा, कितना वायु प्रदूषण होगा, ये सब चीज की जानकारी आम जनता को होना चाहिए। जिसे जानबूझ कर उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी द्वारा और जिला कलेक्टर द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया। ये जन संग्रह की प्रक्रिया है। इस उद्योग से कितने लोगों को लाभ होगा। कितने लोगों को हानि होगा। उसके लिए स्वतंत्र रूप से जनता अपना अभिमत यहां दर्ज करते। परंतु जब उन ग्रामपंचायतो के प्रावधान के तहत् ईआईए रिपोर्ट उपलब्ध ही नहीं करवाया गया। किसका अध्यन करेंगे। कैसे अध्ययन करेंगे। जबकि पर्यावरण विभाग का ये दायित्व बनता है। जो प्रावधान में है विधित्व प्रक्रिया है। वो इस 10 कि.मी. के समस्त ग्रामपंचायत में जाकर के मुनादी करवा दे। घर–घर या मोहल्ला में जाकर लोगों को इकट्ठा कर समझाते इस परियोजना के बारे में बताते, क्योंकि हर आदमी शिक्षित नहीं है। मुनादी की जो प्रक्रिया है प्रावधान है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसलिए रखा है। जो अनपढ़ लोग है वो कैसे समझ पायेंगे। मैं माननीय पर्यावरण अधिकारी से, मैं एक प्रश्न उनके समक्ष रखना चाहता हूॅ क्या उन सभी ग्राम पंचायतों में आपके द्वारा मुनादी कर जनता को जागरूक करने इसके लाभ–हानि के संदर्भ में बताया गया है, ताकि मैं आगे की बात रख सकू। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय से भी मेरी प्रार्थना है। अगर वो इस जनसुनवाई को करवा रहे है। तो उन्हे इस जनसुनवाई की विधि प्रक्रिया की समस्त बिन्दुओं की जानकारी होनी चाहिए। कब–कब नियमों एवं कानूनों में संशोधन हुये है। मैं पर्यावरण अधिकारी महोदय से अनुरोध करवाना चाहूॅगा। वो इसपेसली इसे पर्यावरण मंत्रालय के लिए नोट करें। इसकी अलग से एक और प्रक्रिया है। अलग से टीप लिखा जाता है। जिसमें माननीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समयबद्व प्रावधान दिया जाता है। उसके लिए अलग से टीप लिखी जाती है। पीठासीन अधिकारी महोदय या

पर्यावरण अधिकारी महोदय उस पर लिखते है और ये जनसुनवाई के साथ अलग से जाता है। क्योंकि इसके नियमो में जो परिवर्तन हुये है। उसमें मेरा भी योगदान रहा है। हिन्दी भाषा क्षेत्र में या अन्य भाषाओं के क्षेत्र में खाली अंग्रेजी का ईआईए रिपोर्ट नहीं चलता। जिस क्षेत्र की जो भाषा है। उस राज्य की जो भाषा है। जो संवैधानिक भाषा को मान्यता प्राप्त है। भाषा की भी ईआईए रिपोर्ट बनती है। परंतु ये अभी संशोधन पूर्ण नहीं हुआ है। सिर्फ सार, संक्षेप, समरी हिन्दी में है। बाकी यहां की जनता कैसे पढेगी। मैं तो बोलता हॅू। उसको पढने में समझने में टाईम लग जायेगा। बहुत लंबा होता है। ये जो चीजे होती है मेरे इस बात पर ये जो ईआईए है। ईआईए जिस कंपनी में कंसलटेंट तैयार किया है। वो फर्जी है। वो फर्जी दस्तावेजों की जानकारी देता है वो अगर इस प्लांट के 10 कि.मी. रेडियस से मिट्टी, पानी, हवा और ध्वनि का जो सेम्पल लिया गया है, नमूना लिया गया है। उसे किस ग्राम से लिया गया है। मैं पर्यावरण अधिकारी महोदय, से पूछना चाहता हॅू कि कोई पंचनामा किसी ग्राम पंचायत का यहां से किस स्थल से वो जल लिया गया है, मिट्टी लिया गया है, जिसको लेब मे टेस्ट करवाया गया है, अगर नहीं तो ये फर्जी है। मैं पीठासीन अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे कंसलटेंट कंपनी के मेमोरेंडम के ऊपर उनके प्रबंधन के मुखिया के उपर में अपराधिक प्रकरण दर्ज करें। जाली दस्तावेज तैयार करने, झूठा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, शासन–प्रशासन और जनता को गुमराह करने उनको अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाकर तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए और ये जनसुनवाई यहीं पर समाप्त की जानी चाहिए। क्योंकि विधिक से उपर कोई नहीं माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, आप आईएएस है, आपने कानून पढा है। संविधान का सम्मान करते है, संविधान की परिभाषा आप ही जानते है, संविधान हेतु आपकी नियुक्ति हुई है। ऐसी परिस्थिति में आपको संविधान का परिपालन करना चाहिए। मुझे लगता है आप पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो अधिसूचना है जो जनसुनवाई के कानून बने हुये है, उसको आपने नहीं पढा है। आप सीधे यहां आ गये। अगर पढे होते तो आप अपने कैबिन में बैठ करके वही से इसको स्थगित कर देते और नहीं कर रहे है तो ये छत्तीसगढ़ वालो का दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि आप राजनैतिक या प्रशासनिक या उद्योगपतियों के दबाव में विधि संविधान को पारित कर रहे है। उसकी अवहेलना कर रहे है। आप अधिकारी है बिलासपुर में माननीय उच्च न्यायालय स्थापित है। 2001 में एक जनहित याचिका इसी संदर्भ में लगाई गई है कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्ररी, इस निगम क्षेत्र से कितनी दूरी में स्थापित हो सकते है। उसमें उच्च न्यायालय में 25 कि.मी. वायु सीमा में कोई भी प्लांट, जो

प्रदूषण के गतिविधि में आते है। वो स्थापित नहीं हो सकते। क्या पीठासीन अधिकारी महोदय उच्च न्यायालय से भी ऊपर है। कानून से भी ऊपर है या फिर उनको इतनी बातो पर निर्णय लेने से क्यों ऐसा समय लग रहा है? वो विधि सम्मति तरीके से निर्णय नहीं ले रहे है? या उनका मकसद सिर्फ लाभ पहुंचाना है कि मैं यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में किसान, मजदूर, आम जन, अपना जीवन की रक्षा के लिए अगर लडाई लडते है कि मैं वादा करता हूॅ कि आज जनसुनवाई पूरी करवा देंगे, लेकिन इस कंपनी को एनओसी नहीं मिल पायेगा। ये मैं सार्वजनिक क्षेत्र में कह रहा हूॅ और माननीय पर्यावरण अधिकारी महोदय से पूछ लिजिए मैं प्रावधानों का उम्मीद कर रहा हूॅ कि वो प्रावधान है कि नहीं। जो कि मैं निश्चित रूप से दावा करूंगा कि पीठासीन अधिकारी महोदय, जन सुनवाई के संबंध में कोई भी नियम नहीं जानते, न ही उसको पढ़े है। अगर वो पढे है तो चलिये मैं कंडिकावार उनसे चर्चा करता हूॅ, बताये और अगर नहीं है। तो उनको निरस्त करना चाहिए। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन किन–किन बिन्दुओं पर होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जिन नगरो के आसपास में औद्योगिक विकास हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में 12 से 13 जिले है। अंधाधुन औद्योगिक विकास हुआ है और कई जिले आज से 20 वर्ष पहले काफी प्रदूषित हो चुके है। उसे अभी प्रदूषित कौन करेगा। क्या पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रदूषण संरक्षण के लिए बना हुआ है। प्रदेश में सचिव बैठे हुये है। जिले में आरओ बैठे हुये है। क्या राज्य सरकार के द्वारा स्वतंत्र सरकार की वाणी है। उसने अध्ययन किया है। इस क्षेत्र में अब तक कितनी सड़क दुर्घटना हुई है, जिनके बच्चे जाते है, परिवार से लोग गुजरते है जाने जाती है, पीढा वो सहते है। ऐसे प्रदूषण से पूरा जैव–मंडल प्रभावित हो रहा हैं। यहां की वनस्पति, जल, जीव, लोग फिर भी प्रशासन ये जन सुनवाई क्यो करवा रही है। मैंने जो हवाला दिया है जो जानकारी दिया है। अगर वो गलत है तो वो पीठासीन अधिकारी महोदय, पुलिस विभाग को मेरे खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाये। मुझे गिरफ्तार करवा दे। लेकिन छत्तीसगढ में पर्यावरण संरक्षण मंडल घोर भष्टाचार में डूबा हुआ है। प्रशासनिक अमला में जो प्रशासनिक अधिकारी बैठते है, तो मुझे अभास होता है या तो, डर है, या तो भष्ट है। अगर भष्ट नहीं है तो संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, वो पढ रहे है, मेरे सामने में कानून, और यहां की जनता को बताये ये कानून है, इस कानून के तहत् बता रहा हूॅ। आप बता सकते है। क्योंकि आप कानून के विरूद्व में जा रहे है। आप यहां के लोगों को भेड़–बकरी समझते है। जिसको उद्योगपतियों के इशारे पे काटना है, मारना है, उनके जीवन को छिलना है। आप न्यायिक पद पर है, मैं एक नागरिक

होने के नाते आपकी शरण में हूॅ। आप जिला दण्डाधिकारी के नाते, आप न्याय करिये, इस क्षेत्र की जनता के साथ और यही पर इसी बिन्दु में आप पहले पीठासीन अधिकारी नहीं है जो जन सुनवाई को निरस्त करवायेंगे। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ में तीन दर्जन जन सुनवाई मन से पीठासीन अधिकारी महोदय जो कानून को समझते है। संविधान का सम्मान करते उन्होंने किया है, वो मूर्ख थे, आप होशियार है। ऐसा नहीं आज कानून की अवमानना संविधान की अवमानना कर रहे है और मैं इस क्षेत्र की जागरूक जनता से निवेदन करूंगा। क्योंकि जन प्रतिनिधी तो बना नहीं, राजनैतिक दल वाले अपने हिसाब से आते जाते है। जो आ गये धन्यवाद, जो नहीं आये, कोई बात नहीं। क्या इस 10 कि.मी. के रेडियस में जो चुने हुये जनप्रतिनिधि है, विधायक है, इस क्षेत्र के सांसद है, उनका भी दायित्व नहीं बनता। जो प्रशासन से बात करें, उनके पास ताकते है। जो सरकार के है वो पार्टी इस जिले में है। वो क्यू मौन है किसलिए मौन है। पीठासीन अधिकारी महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय को इस बात से आगह कराना चाहता हूॅ कि औपचारिकता देश में जन सुनवाई का इस नाटक को बंद कराये आप। प्रशासन उद्योगपतियों को जो करना है क्योंकि सरकार प्रशासनिक अमला पर नियंत्रण उद्योगपतियों का है, पूंजीपतियों का है। उनके गुलाम है आप, इस गुलामी को आपको झेलना पडेगा, आप कुछ नहीं कर सकते और मेरे जैसे आदमी तो कुछ और भी नहीं कर सकता। ज्यादा करेंगे तो जेल में डाल देंगे। मैं निश्चित समय में बाहर आउंगा और मैं कोई असंवैधानिक शब्दो का उपयोग नहीं कर रहा हूॅ। आप भष्ट है, ये प्रमाणित है। ये जनता के सामने इस मंच के सामने बोल रहा हूॅ। आप मेरे को मान–हानि का दावा करें। मेरे खिलाफ सार्वजनिक मंच पर मैंने आपको अपमानित किया, अपमानित नहीं किया आपको सत्य बताया। अभी भी आपके पास समय है। आप संविधान का पालन करिये। भारत के कानून का पालन करिये। क्या आप छत्तीसगढ में न्यायपालिका से ऊपर है, क्या यहां ग्रामपंचायत से ऊपर है, आप क्यों निर्णय नहीं ले रहे है, क्यों लोगों को परेशान कर रहे है, इज्जत का नाटक कर रहे है, अगर ऐसे ही करना है तो जाईये इस कंपनी में जाईये। रिजाईन करिये, आप जिस सेवा में आये है। इसका वेतन जनता देती है। उसके आप सेवक है। सिर्फ नौकर। आप जिस पद पर आप बैठे है। उस कंडिका को याद करिये। जनता के प्रति आपकी क्या संवैधानिक जवाबदारी है। आप नहीं करेंगे क्योंकि भूपेश बघेल के सरकार में प्रशासनिक अमला प्रशासनिक दादागिरी से इतना अंधा हो गया है। कितने बेशर्मी ऐसे सार्वजनिक मंच में उनको संविधान का पालन करने शर्म आ रहा है। इस क्षेत्र में कितने प्रकार की खेती होते है, कितने

जीव–जन्तु है, आप उस ईआईए रिपोर्ट में देख लिजीए, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टेबल में बैठकर आकार दिया है आप, मैं तो सोचता था कि पहले प्रशासनिक अधिकारी महिला थी वो शायद महिला थी, डर गई, आप तो पुरूष है। आप इस क्षेत्र की जनता की रक्षा करें। मैं बार–बार आपके चरणों की वंदन करता हूॅ। आप न्यायिक पद पर है। न्यायपालिका सर्वोमान्य है। मैं उसी का मंदिर समझता हूॅ उसमें बैठे लोगों को देवता समझता हूॅ, मैं आप को भी प्रणाम करता हूॅ, मंच में बैठे सभी लोगों को प्रणाम करता हूॅ। आपको कोई दिक्कत हो रहा है, तो मिस्टर तिवारी बैठे है सचिव, रायपुर में सेक्रेटरी उनसे पूछिये। वो बडे दलाल है पूंजीपतियों के बडे दलाल है, छत्तीसगढ में। जो ऐसे जनसुनवाई को संचालित करवा रहे है। आप आज पुलिस बल से, दादागिरी से, आप इस जनसुनवाई को संपन्न करवा लेंगे। तो आप सोच रहे है कि ये कंपनी एनओसी प्राप्त कर लेगी। इस क्षेत्र के अगर पांच ईमानदार किसान, महिला–पुरूष अगर लड रहे है, अगर एक भी लड रहा है, ये कंपनी वाले को एनओसी नहीं मिल सकता। आप अपनी दादागिरी कर, आप अपना नंगाई दिखा कर, आप अपना प्रशासनिक आतंकवाद से छत्तीसगढ वाले को इस बिलासपुर जिले वाले को अवगत करा ले, ये महामाया की भूमि है, प्रकृतिक न्याय से कम से इंसान को डरना चाहिए। मैने बडे–बडो का हर्ष देखा है। मैं पुनः निवेदन करूंगा। अगर 14 सिम्बर 2014 के जो प्रावधान है विधि बनाया गया है जनसुनवाई का विधि के अंतर्गत ये जन सुनवाई हो रहा है। आप मुझे बताये, हो रहा है, जनता के सामने बोल दो, हो रहा है, मेरे हिसाब से जो जागरूक होगा वही जन सुनवाई निकाल पाया होगा। उस प्रावधान में। मैं जब दावा कर रहा हूॅ कि आप नहीं पढे है, तो नहीं पढे है। क्योंकि मैं 27 वर्ष से समाजिक संघर्ष कर रहा हूॅ मुझे कंठस्थ है कि किस तारीख में कौन सा संशोधन हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय में किन कारणो से किसके आवेदक पर संशोधन किया है और आप अभी भी कानून का पालन करें और अलग से पत्र बनाये मुख्यमंत्री के नाम से कि माननीय उच्च न्यायलय का आदेश है इस क्षेत्र में किसी भी जनसुनवाई को सम्पन्न नहीं करवाना उसकी प्रक्रिया को शुरूवात नहीं करना। ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है और आज ये जनसुनवाई होती है। मैं इन गांव वालो को साथ लेकर कोई याचिका नहीं लगवाउंगा। सीधा चीफ जस्टिस महोदय के पास जाउंगा। मुख्य न्यायधीश, उच्च न्यायलय के पास, कि आपके इस राज्य में कानून की अवमानना कैसे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे है। उद्योगपतियों को संरक्षण देने के लिए और पुलिस बल का उपयोग कर रहे है। जितने आदमी नहीं है उससे ज्यादा तीन गुनो पुलिस बल है। आप अच्छा काम करने आये है। विधि

सम्मत तरीके से जन सुनवाई करवाना चाहते है, तो पुलिस बल का क्या। दो –चार–दस रहें कानून व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का वनस्पति का जल स्त्रोतों का यहां से सेंदरी से लगा हुआ। एक हॉस्पिटल है मेंटल हॉस्पिटल, मानसिक रोगों पूरे छत्तीसगढ के वहां ईलाज करते है, क्या वो ईआईए रिपोर्ट में दर्ज है, वो मानसिक चिकित्सालय क्या हमारे गरीब से गरीब दुर्बल लोग, मानसिक रूप से पीढ़ित लोग यहां आते है। समस्त प्रदूषित वातावरण में क्या वे यहां पे स्वस्थ हो पायेंगे। अगर ऐसी जानकारी को यहां पर छुपाया गया, यहां पर कितने स्कूल है, इस 10 कि.मी. के अंदर कितने स्कूल है, कितने बच्चे है, कितनी बालक, कितनी बालिकाएं है। तो आप लोग प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को भी उसके अधिकारो से वंचित कर दिया। संविधान में ग्राम पंचायत को विशेष शक्तियां दी है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय भी निर्देशित नहीं कर सकता है। उसे दखल नहीं कर सकता। वो श्वायत संस्थाए है। श्वायत संस्थान को माननीय उच्चतम न्यायालय की परिधि से बडे है, वो निर्णय लेगा। क्या इस ग्राम पंचायत ग्रामसभा का निर्णय लिया। इस कंपनी का जन सुनवाई होना चाहिए। बाकी पीठासीन अधिकारी महोदय ने अनुमति दिया। क्यो नहीं दिया। आप ग्राम पंचायतों की शक्तियों को नहीं समझ सकते। मैं बहुत सारे साथी है, मैं इस क्षेत्र के जागरूक लोगो माता–बहनों से किसान मजदूरो से निवेदन करूंगा कि आज जो प्रशासनिक दादागिरी, प्रशासनिक अधिकारी महोदय, पर्यावरण अधिकारी महोदय कर रहे है। उसे आप में झेलने की क्षमता है। कानूनी लडाई लडे। मैं आपके साथ में बिना याचिका के माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश चेम्बर के सामने खडा कर दूंगा। आपको याचिका लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि माननीय न्यायालय को मौखिक संज्ञान लेने की शक्तिया है। वो शक्तियां आप को भी है। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, को उच्चतम न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायधीशपति है। उनकी शक्तियां है आपको। उनका पूरा देश है। उच्च न्यायलय का एक राज्य है। आज जिला दण्डाधिकारी के पद पर है। इस भौगोलिक जिले में आप संज्ञी शक्तियों से कार्य कर रहे है। यहां राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये उद्योगपति कर रहा है उसको आप, मैं इस जनसुनवाई का पूर्ण रूप से विरोध करता हूॅ और केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा निवेदन है कि तत्काल कानून में संशोधन लाये समरी को हिन्दी करने का है या संबंधित राज्य में, राज्य भाषा का दर्जा संविधान में मिला है। उस पर ईआईए बनाने का हिन्दी में बनाने का जनमानस समझ सके। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय और पर्यावरण अधिकारी महोदय, पर्यावरण अधिकारी

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि युवा है, उन्हे बहुत सारी जनसुनवाई करवानी है। आज भी अपने जिम्मेदारी को समझे। जिन–जिन गांव में मुनादी करवानी थी। लोगों को समझाना था। उसके साथ में विडियों ग्राफी होती है। आज बता दीजिए की विडियो ग्राफी हुई है। मैं मान लूंगा कि आप संवैधानिक स्तर पर कार्य कर रहे है। आप लोग प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नहीं है। 420 है और इस जनसुनवाई को सफल कराने के लिए आप जैसी अधिकारी के लिए मैं ईडी में शिकायत करूंगा, कि कितने करोड़ की डील आप लोग कर रहे है। कितने करोड़ के स्वामी है आप, मेरी बातों को मंच ने सुना, क्षेत्र की जनता ने सुना, मैं जाता हॅू, वहां बहुत विरोध होता है। जो कंपनी के पक्ष में बोलते है। वो मरने–मारने के उतारू होते है। लेकिन यहां विरोध करने आये है। मेरी बात को सुना है। वो सब शब्दो को नमन करता हॅू कि आप किसी के बहकावे में न आये, नौकरी देगा, सरकार देगा। ये उद्योगपति क्या देगा। ये तो लूटने आया है। क्या ये इसने पहले एमओयू स्थापित किया है। उसका परिपालन किया है, आर.ओ. साहब बता दे परिपालन किया है किन–किन बिन्दुओं पर किया है। पूरा क्षेत्र तबाह है जाकर देखिये। बरसात को छोड, ठंड में और गर्मी में उनके छतों में जाकर देखिये, पेडों की फोटो खीचकर देखिये, तो आपको समझ में आ जायेगा कि प्रदूषण का क्या है स्तर, मानक स्तर से बिलासपुर जिला आगे निकल चुका है। यह अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में आ चुका है। मैं आर.ओ. महोदय से आदरणीय मिश्रा साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस जिले को प्रदूषित न करने के दिशा में पहल करें। मुख्यमंत्री को भी लिखे। जो मैं ज्यादा दोषी मुख्यमंत्री को मानता हॅू। जो उद्योगों से चंदा लेने के चक्कर में, उनको संरक्षण देकर बैठे है। छत्तीसगढिया हव गा, तुम्हर भाई हव, बोलने से नहीं होता। वो भी अपराधी है, वो भी दोषी है। उतना दोषी है जितना आप दोषी है, यहां का मुख्यमंत्री भी दोषी है। उद्योग विस्तार के लिए जो जन सुनवाई हो रही है। मैं पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी तौर पर विरोध करता हॅू, और मैं अपनी बातो को विराम करता हॅू।

15. **श्री दिलीप अग्रवाल, ग्राम–निरतू** :– जैसा कि अभी तक शर्मा जी जो बता रहे थे, और समस्त मंच में बैठे हुये अधिकारी किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पाये, पूर्व में ये जो 2009–2010 में इस उद्योग को अनुमति दी गई थी। किस प्रकार से दी गई क्या, ग्राम गतौरी जो है। वो औद्योगिक क्षेत्र घोषित है, सरकार के द्वारा, यदि नहीं है तो उस उद्योग को चलने क्यू दिया जा रहा है, पहला सवाल खडा होता है यहां पर, दूसरी बात विगत 12 सालो से स्थानीय क्षेत्रों के लोगों को कितने लोगों को

इस उद्योग के मालिक ने रोजगार दिया। तीसरी बात जितने भी किसानों की फसले खराब हुई है। क्या उद्योग के डायरेक्टर के द्वारा उनको फसल मुआवजा दिया गया, रोकथाम के लिए क्या किया गया, क्या इन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था की, क्या बच्चों की व्यवस्था की, क्या सुरक्षा व्यवस्था की, क्या प्रदूषण के रोकने की व्यवस्था की, और अभी जो जितने लोग खडे हुए है बैठे हुए है साथियों वो आपको पता नहीं है सिर्फ विड विस्तार की बात नहीं है आपको धोखे में रखा गया है। पांच और उद्योग खोले जा रहे है। ये धोखे में जनसुनवाई करा रहे है आप लोगो को। पांच उद्योग और खोल रहा है ये सत्या पॉवर प्लांट। इस क्षेत्र की क्या दुर्दशा होगी। ये ग्रामवासी भलीभॉति समझे। पूरा मेरा सवाल यही है। कि जब सिरगिट्टी, बन्नाक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है, तो वहां पर उद्योग स्थापित क्यों नहीं किया गया, ये उद्योग को कायदे, से नियम से, अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में जाकर ले जाना चाहिए। उद्योग का पूर्णतः विरोध करते है और निश्चित पुलिस बल के दम पर, ये दसवीं एवं बारहवीं जनसुनवाई है। जहां पर प्रतिनिधि पहुंचता है और विरोध करता है। जब देखो प्रशासनिक तंत्र पुलिस के बल पर मात्र पुलिस के बल पर जन सुनवाई कराता है। यदि जनता विरोध करना चाहेगी तो पुलिस कहीं न कहीं अमन कायदे अपनाती है। एकजाम्पल घुटकू है, खरगहनी है, खरगहना है, कालिंदी में मानिकचोरी है, पारस पॉवर है सभी जगह पुलिस के बल पर भावनात्मक कार्यवाही दम पर की जाती है। कुछ लोगों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में लाया जाता है। कुछ लोगों को, ये भी पता नहीं कि, ये क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा। ये लोग बोलते है कि, इस क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार मिलेगा। ये किसान हमारे जो पीछे बैठे है। ये अपनी जगह बतायेंगे। क्या सत्या पॉवर प्लांट द्वारा इनको फसल का मुआवजा दिया गया, कि नहीं दिया गया। दूसरी बात आप इस जन सुनवाई को पारित कर भी लेंगे तो एनजीटी व हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट तक जायेंगे। ये आपको बता देते है। जो कि विधि संगत नहीं है। लगातार हम पर्यावरण अधिकारी से पूछते है कि जांच होती है, कितनी जांच करते है, आप। वो बताते है कि इनके पास चस्पा रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ हवा–हवाई बात करते है। 12 साल में ग्राम–गतौरी जो कि हल्का पटवारी गतौरी का आता है। ग्राम पंचायत गतौरी को सीएसआर के माध्यम से, जो उद्योग से इनकम की राशि होती है कितना विकास होता है। यहां बताये। सीएसआर की राशि ग्राम गतौरी को कितना मिला। ये भी सत्या पॉवर प्लांट बताये। क्योंकि आज ग्राम गतौरी में सीएसआर राशि का उपयोग होता, तो ग्राम की हालत कुछ और होती। ये सारा पैसा भष्ट अधिकारी मिलकर खा जाते है और जनता को यहां पर पिसने के लिए छोड दिया

गया है। बडी–बडी भारी वाहनों के चलने से, कई दुर्घटना हो चुकी है। इसकी जवाबदारी कौन लेगा, क्या सत्या पॉवर प्लांट लेगा। इसका जवाब दे, और पूरी तरह जनसुनवाई को फर्जी करार देते है। क्योंकि आपके दस्तावेज में ग्राम पंचायत गतौरी की एनओसी नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। दिखाईये आप। ग्राम पंचायत के सरपंच को आप ने अनदेखा किया। उनके अनुमति के बिना जनसुनवाई की। आज यहां आपत्ति है। इसका पूर्ण विरोध करते है और हम इस जनसुनवाई को फर्जी करार देते है।

16. **श्री सुरेन्द्र कश्यप, ग्राम–सेंदरी** :– मैं सुरेन्द्र कश्यप, ग्राम सेंदरी का कृषक हूं। मेरा जो प्लांट से खेती जुड़ी है, वो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। सत्या पॉवर प्लांट का जो प्रदूषण, जो निकलता है चिमनी के द्वारा, वो ठण्ड के समय में हमारी जमीन में, हमारी फसलों पर, हमारे घरों पर, हमारे खाने–पीने की चीजों में पूरी तरह जम जाता है, और उससे हमें खाने के लायक कोई फसल नहीं मिलती है। यहां तक ये होता है कि हमारी उत्पाद की हुई जो सब्जियां है, जो मार्केट मोल में जाने से आधे दामों में बिकती है। हमने इसकी शिकायत कई बार प्रदूषण विभाग से की, अभी 2020 में भी हमने किया था, लेकिन उनके द्वारा कुछ दस्तावेजों को ऊपर–नीचे करके या अंग्रेजी में लिखकर, किसानों से दस्तखत करवा लिया गया परन्तु मेरे से दस्तखत नहीं करवा पाये। मैं उसकी जो छायाप्रति है वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूंगा और मै दिखा दूंगा कि जो–जो किसान उसमें दस्तखत किये हैं, उनका फर्जी दस्तखत है, वो उस समय प्लांट में नहीं थे और जो अपने खेत को, और उसमें ये लिखा हुआ है कि, हम सत्या पॉवर प्लांट के प्रदूषण से संतुष्ट हैं, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, जो एक गलत तरीके से उनका दस्तखत बनाकर, उनका दस्तखत करके प्रस्तुत किया गया है, पर्यावरण विभाग को या प्रदूषण विभाग को, जिस कारण मैं सत्या पॉवर, जो भी इसकी जन सुनवाई है उसका विरोध करता हूं, साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं, कि हमारे द्वारा जो खेती की जाती है हाईटेक्निक के द्वारा की जाती है। जिसमें हमने बैंक से करीब 40 लाख रूपये का हमने लोन लेकर, खेती कर रहे है और उसके पटाने के लिए हम लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पडता है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हुई है। मैं कुछ प्लांट का भी विडियोग्राफी भी रखा हुआ हॅू। जो इनके डस्ट निकलने का, धुआं निकलने का, जो प्रदूषण हो रहा है। उसको मैं यहां पर दिखा नहीं सकता। लेकिन किसी भी अधिकारी को पर्यावरण विभाग जिसी को भी जरूवत होगी। मेरा नंबर नोट कर लिजीए। 7389477578 में

कॉल कर लिजीए। मैं उनके पास उसको सेंड कर दूंगा, या जो जैसा चाहेंगे जहां बोलेंगे उनको दिखा दूंगा। वो किस प्रकार का वहां से प्रदूषण होता है। दूसरी बात यह बोलना चाहता हूॅ जो सत्या पॉवर प्लांट का स्थापना है, ग्राम गतौरी में जरूर है लेकिन ग्राम गतौरी के लास्ट बार्डर में है। जहां से उनका सीमा खत्म होता है, और सेंदरी का कछार का सीमा एक दूसरे को जोडती है। अभी सत्या पॉवर प्लांट का गतौरी की ओर से हवा जो चलती है, वो जाती है दक्षिण एवं उत्तर की ओर चलती है, जिससे हमारी प्रदूषण है वो अधिकांशतः ग्राम सेंदरी में जाकर गिरता है। वहां के घरो में, वहां के स्कूलों में, वहां के जो सोसायटी है धान की, वहां के बीज निगम सोसायटी है, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते है, वो धान काला हो जा रहा है। वहां डम्प करने पर भी काला हो जा रहा है, वहां पर मेंटल हास्पिटल है। वहां पर भी मैं दिखा सकता हूॅ इनका वहां कितना प्रदूषण होता है। पर्यावरण के कारण सत्या पॉवर प्लांट द्वारा मेंटल हास्पिटल में भी न कोई पेड–पौधे लगाया गया है न रोड में लगाया गया है, न अपने प्लांट के अंदर सिर्फ इन्होंने लगाया है। उनसे इनका सब कुछ बच जा रहा है। लेकिन दूसरे किसानों को जो तकलीफ और नुकसान हो रही है। उसकी अनदेखी कर रहे है। इसलिए मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूॅ। इसके पहले भी हम लोग, एक–दो बार इनके विरूद्व कम्पलेन हुआ था। इन्होंने बोला था कि बाऊण्ड्री उठा लेंगे। हम 25 फीट बाण्ऊड्री ऊंची कर लेंगे उसका डस्ट आपके खेतो में नहीं जायेगा। इनकी बाउण्ड्री से मेरा खेत लगा हुआ है। एक इंच भी दूरी नहीं है। इनकी बाऊण्ड्री इधर और मेरा खेत उधर। जो तकलीफ मैं झेल रहा हूॅ। वो मैं बयान कर रहा हूॅ। यहां अधिकारी के सामने बयान कर रहा हूॅ। इसकी जनसुनवाई जो करना था। जहां ज्यादा नुकसान हो रहा है उस गांव में करना था। उस गांव के लोगों से पूछना था। अब यहां गांव में जनसुनवाई हो रही है यहां तो प्रदूषण आ नहीं रहा है। इसलिए इसका मैं विरोध कर रहा हूॅ। आखिरी में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोग के द्वारा जो भी जन सुनवाई हो रही है। उसे नियम के अनुसार गरीब किसानों को देखकर, दयनीय दशा को देखकर उनके साथ अच्छा व्यवहार कर इसका जन सुनवाई में जो भी निर्णय ले उसको हम लोगों को उचित रूप में फायदा हो सके। वो सब जनहित के लिए फायदा हो सकें। इसलिए जन सुनवाई में जूझे, वैसा न करने में मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूॅ।

17. **<u>श्री त्रिलोक श्रीवास, कांग्रेस नेता, जिला पंचायत बिलासपुर :–</u>** हम लोग इस जनसुनवाई में आये है, और कुछ पत्रकार बंधुओ साथी देखकर हंस रहे है, मैं

पचासों जन सुनवाई में गया हूॅ। ये पहला जन सुनवाई है, जो वॉटर प्रूफ टेंट में हो रहा है, भारी बरसात के बीच में हो रहा है, जब जिला प्रशासन को पता था ये खेती–किसानी का समय है, और आपके ग्रामीण अंचल में विस्तार करने जा रहे है। किसान अन्य दाता अपने खेतों में व्यस्त है, इसी समय में, ये जनसुनवाई करने की क्या आवश्यकता थी। मुझे समझ से परे है, 15 सितम्बर के पश्चात भी आप जनसुनवाई कर सकते थे, इतना कौन सा आवश्यक कार्य था, जनसुनवाई भरी बरसात में किया जा रहा है, ये पहला सोचने का बिन्दु है। मैं अपनी बातो को कहूॅ, भाषण देने नहीं आया हूॅ, क्षेत्र का नेता बाद में हूॅ, क्षेत्र का बेटा पहले हूॅ, मुख्य बात है पहले बात है। मेरा घर कोनी में है मेरा घर भाटा, बेलतरा, बिलासपुर में है। परंतु जहां पर संस्थान है कछार में, सेंदरी में और जो ग्राम सर्वाधिक प्रभावित है। हमारे सेंदरी के, गतौरी के, नवगवां के इन लोगों के किसान, इन लोगों के नागरिक का, हमारे बारे में क्या सोचते है, इनकी राय क्या है, मैं अभी आया हूॅ आर.ओ. पानी साथ लेकर आया हूॅ। आप लोग भी आये होंगे। दिन भर पानी पीते है उनकी क्या राय है हम लोग की आंशिक रूप से आते है। जिला प्रशासन भी आंशिक रूप से आये है, जो लोग यहां रहते है, उनकी मंशा क्या है, क्यो महत्वपूर्ण है जिन बातों को चर्चा करें। साथ ही साथ मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे त्थय बात आपके सामने रख रहा हूॅ और मेरा अनुरोध है कि प्रबंधन की ओर से कोई जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुये होंगे तो कृपया जब मैं कोई बात कहूं, तो उसकी जवाब भी देंवे :–1. सत्या पॉवर एण्ड इस्पात के द्वितीय चरण के विस्तार से जो पर्यावरण प्रदूषण होगा, उसके लिए, नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण रोकन के लिए, संयंत्र की ओर से क्या व्यवस्था किया गया है या किया जाएगा। 2. द्वितीय चरण के विस्तार से आप को अतिरिक्त रूप से जल की आवश्यकता होगी, जल आपूर्ति आप बोरिंग करके करेंगे, नदी से लेंगे या तालाब से पानी लेंगे, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो वॉटर लेवल जल की कमी होगी, उसकी जल की पूर्ति कैसे करेंगे। 3. प्लांट से निकलने वाले वेस्टेज रॉ मटेरियल, धुआं, डस्ट जो भी आपके वेस्टेज मटेरियल है, इनसे जो नुकसान हमारे किसानों के फसल पर होगा, उनके मुआवजा के लिए क्या व्यवस्था होगी। 4. आपके यहां सभी औद्योगिक संस्थानों में सीएसआर फंड के तहत् प्रभावित ग्रामों में कार्य कराये जाने का नियम रहता है, आपके प्रभावित ग्राम है, गतौरी, सेंदरी, कछार, नौगांवा, मोहतराई, लोफन्दी आदि ग्राम के तहत् सीएसआर फंड के तहत् क्या कार्य करायेंगे। 5. तत्कालिक रूप से अभी प्रभावित गांव में आप क्या कार्य कराने जा रहे है, कि भविष्य में करायेंगे कभी, या करवाने जा रहे है, हम लोग अभी जन सुनवाई

में जाते है, और जनसुनवाई में कोई भी प्रबंधन अपनी ओर से ऐसा प्रेजेन्टेशन देता है, कि जैसे ढाई घण्टे, तीन घण्टे का पिक्चर, तो ढाई मिनट के टेलर में बहुत अच्छा लगता है, बाद में उसका निष्कर्ष में पहुचेंगे, तो उसका कुछ नहीं दिखता है। साथ ही साथ द्वितीय चरण के विस्तार में आपको कितने कर्मचारियों, अधिकारियों की आवश्यकता होगी, कुशल और अर्धकुशल मिलाकर और इन अधिकारी, कर्मचारियों में जो प्लांट में कर्मचारी होंगे, वो सभी हमारे क्षेत्रीय होंगे कि बाहर से लायेंगे। 8. प्लांट के कर्मचारी खुदा न खास्ता अकास्मिक रूप से दुर्घटना के शिकार हो जाते है, या घायल हो जाते है, या हताहत हो जाते है। इनके लिए प्रबंधन क्या व्यवस्था करेंगा। आपके प्लांट से जो गाड़िया परिवहन करेगी समान आप लोढ करके ले जायेंगे, हमारे सड़क खराब होंगे, उनके मेंटनेंस करने के लिए आपकी क्या व्यवस्था होगी, और उसका मेंटनेंस आप लोग कब–कब करेंगे। यदि प्लांट में ईएसपी संयंत्र लगेगा, तो चलेगा, नहीं चलेगा, इसके निगरानी के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, प्लांट से जो तरल पदार्थ निकलते है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते है, पिछले बार आप जन सुनवाई में प्लांट प्रबंधन ने कहां था। उसके लिए हम लोग एक बडा सा गड्डा तो करायेंगे। जो आपके प्लांट के अंदर ही आपके पानी का ही विस्तार किया जायेगा। वो तो वेस्टेज पानी है जिससे आपके फसल और जमीन खराब हो सकता है, उसके निस्सारण की व्यवस्था क्या रहेगी। प्लांट में कई वर्षो से मैं जानना चाह रहा था, कि कृपया बताये ये 2 साल को छोड के करोना का काल था ये 2 साल को छोडकर। गतौरी में, सेंदरी में, कछार में, सुखदवा में, नौगांवा में, मोहतराई में, जलसो में, सेमरताल में, भरारी में, पेण्डरवा में, लच्छनपुर में सीएसआर के तहत् आपने क्या कार्य करवाया। पिछले 10 साल में क्या कार्य करवाया। आपके प्लांट में कितने कर्मचारी है, इसमें स्थानीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है, हमारे इस प्लांट में कार्यरत् जो कर्मचारी स्वास्थगत बीमारी के शिकार होते है, उनके लिए प्रबंधन क्या व्यवस्था करेगा, हम लोग गांव में जाते है कुछ लोग दुर्घटना के शिकार हुए है। उनको तत्कालिन सहायता उपलब्ध कराया गया था। परंतु उसके पश्चात् प्रबंधन के द्वारा कुछ नहीं की गई है। ऐसा शिकायत मिला है। भविष्य में यदि किसी ग्रामीण एवं कामगार के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है। उसके ईलाज के लिए प्रबंधन द्वारा क्या होगा। हम सब लोग यह चाहते है, हमारी मंशा है, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी दर्जन भर गांव के सरपंच आये है, हमारी ऐसी मंशा है, ये जो प्रशासन के अधिकारी है, प्लांट के निगरानी के लिए हम लोग चाहते है कि प्रभावित गांव के संरपचों, यहां के जिला पंचायत सदस्यों, विधायकों की एक संयुक्त टीम बनाई जाये और जिला प्रशासन

समय–समय में उनकी समन्वय स्थापित करें। प्लांट की निगरानी करता रहे। प्लांट की कमेंटमेंट को पूरा कर सके। पर्यावरण प्रबंधन के लिए कितने एकड़ क्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजना है। क्या वर्तमान में वृक्षारोपण कराये जाने की कोई योजना है और यदि है तो कितना वृक्ष लगायेंगे। कब तक देखभाल करेंगे और वृक्ष लगायेंगे। जैसे हम लोग लगाने जाते है। 100 लगाते है तो 50 मर जाते है कि सिर्फ फोटो खिचाने के काम आयेंगे। इस बातों का भी खुलासा हो। यदि भविष्य में प्लांट की गाडियों से संयंत्र से किसी कामगार के साथ किसी आम नागरिक के साथ या हमारे पशुओं को कोई नुकसान होता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए आपके पास क्या व्यवस्था रहेगी। इस बातों को बताये। हमारा उद्देश्य प्लांट को लगने से रोकना नहीं, हमको पता है प्लांट लगेगा। उससे राज्य सरकार, प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। उस राजस्व की प्राप्ति से देश चलेगा। हमारा उदेश्य है कि प्लांट लगे। साथ ही केन्द्र सरकार, पर्यावरण सरकार के जो नियम कायदे कानून की जो हमारे किसानों के कृषि के कार्य है। उसमें प्रभावित न हो। आपके प्लांट से लगे दर्जनों किसान और भी है। जिनके फसल बर्बाद हो रहे है। जिनके कुछ कारणों से उनके खेतो का अपका कब्जा भी है। उनको क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने के लिए के आपके पास क्या योजना है। मेरे बाये हाथ को देखिये ये छत्तीसगढ का सबसे पहला फार्म हाऊस है। ये आवासीय योजना है। यहां प्रदेश के बड़े–बड़े नेता, पत्रकार, अधिकारियों के बहुत हजारो लोगों का प्लाट है। वहां पर शांति के लिए गतौरी, कछार आये है। गतौरी, कछार में फार्म हाऊस वाली हमारी जमीन रहेगी। यहां फार्म हाऊस बनायेंगे। यहां परिवार के साथ आकर छुट्टी बितायेंगे। सुधा एग्रो लगेगा, सत्या पॉवर इस्पात लगेगा। इतने सारे कोल वॉशरी लगेंगे। शहर से 25 कि.मी. दूर आवासीय योजना के तहत् कॉलोनिया बस रही है। क्या ऐसे लगातर संयंत्र लगते जायेंगे। आप 6 महीना रह के देखना फिर एनओसी दिला देना। इसमें कुछ किसानों का भी पत्र है।

18. **श्री आयुष सिंह राज, आदिवासी नेता, जिलाध्यक्ष :–** पहले प्रवक्ताओं ने जो बात कही है, उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आज प्रशासनिक अधिकारी जो जन सुनवाई में लेने के लिए उपस्थित हुये है। उनसे बात पूछना चाहता हूँ कि आज जो प्रशासनिक अधिकारी प्रबंधन के साथ में जन सुनवाई करने के लिए आये है। उनके पक्ष में यही जन सुनवाई ये जो प्रभावित गावं के लोग है, जो ये प्रभावित है। उनसे पूछने के लिए कभी आये है, कभी समर्थन बात जानना चाहे है, कि क्या तुमको कोई तकलीफ है, नहीं है। प्रबंधन से तुमको परेशानी हो रही है, कि नहीं हो रही

है। ऐसा क्यो? आज जो हजारो की संख्या में पुलिस फोर्स बल तैनात किया गया है, यह कोई इतना बडा घटना हो जा रहा है। जो आप पुलिस फोर्स लेकर आये है, आप गांव के लोगों को डराकर ये दिखाना चाह रहे है, कि देखो ये प्रबंधन इतना पॉवर फूल है। आपकी बातो का जवाब दिया जायेगा। पुलिस फोर्स द्वारा हमारे द्वारा ये दिखाने का प्रयास कर रहे है आप लोग, मैं माननीय प्रबंधन, जो जन सुनवाई में आये हुये है उनके समक्ष कुछ बातें है। उन बातों पर जानकारी चाह रहा हूॅ, हमारे आरणीय बडे भैया मार्गदर्शक त्रिलोक श्रीवास जी ने जो बात कहीं है कि जवाब बाद में देंगे। लेकिन जवाब हमको आज ही चाहिए। आप जनता के बीच में उसको देकर जाईयेगा। मैं प्रबंधन से पूछना चाहता हूॅ कि क्या प्रबंधन द्वारा उद्योग लगाने के पहले जो शर्त दिया गया था। उस शर्त का पालन किया गया है और पालन किया गया है तो कितना पालन किया गया है। दूसरा क्या प्रबंधन द्वारा उद्योग लगाने के समय सम्मति पत्रक जो पेश किया जाता है जिसमें सम्मति पत्रक के अंदर होता है व्यापार अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, संविधान अधिनियम, स्वच्छता अधिनियम का कार्य इन्होंने समुचित किया है, प्रबंधन द्वारा उद्योग विस्तार से होने वाले जो प्रदूषण है, उन्हें रोकने के लिए प्रबंधन अभी तक क्या–क्या कदम उठाये है इसका जवाब दे। पर्यावरण मंडल। प्रबंधन द्वारा उद्योग प्रभावित ग्राम क्षेत्र में प्रदूषित धुएं, डस्ट, राखड़ से जो उपजाऊ भूमि है, वो आज बंजर स्थिति में हो चुकी है, उसका हर्जाना कौन देगा। माननीय पर्यावरण संरक्षण अधिकारी है जो वो इसका जवाब दीजिएगा। उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित राखड़ से ग्राम क्षेत्र में फसलों का मुआवजा कौन देगा। आज से 12–15 वर्षो तक इन्होंने किसानों ने नुकसान झेला है, नये प्लांट लगे है तब उसकी स्वीकृति प्रदान कीजिएगा। हमारा कोई गतौरी बसेरा नहीं है। कोई भी आये और यहां प्लांट लगाकर चले जाये। मैं माननीय प्रबंधक महोदय से जानना चाहता हूॅ कि अंधाधुन पानी का जो उपयोग किया जा रहा है। पॉवर प्लांट में उसके कारण क्षेत्र की जल स्तर की समस्या निर्मित हो रही है। नीचे जा रही है। उसके लिए आपने क्या निदान किया है 12–15 वर्षो में। इसका कृपया जानकारी दे। उद्योग के घटित होने वाले दुर्घटनाओं पर आज तक मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है, न सुलझाया गया है, न इसका मुआवजा दिया जाता। ये प्लांट की व्यवस्था निर्मित है, पहले भी निर्मित था। उद्योग कर्मचारी, मजदूर कर्मचारी के ऊपर प्रशासन को निर्धारित दैनिक वेतन मूल्य देने की बात कहीं जाती है, किन्तु वर्तमान स्थिति यही है कि वहां निर्धारित मूल्य को भी लेबर, मजदूर, कर्मचारी मजदूर को भी नहीं दिया जाता। आज तक प्लांट से निकलने वाले गंदगी, डस्ट, धुएं से पर्यावरण एवं जनमानस संक्रामक शिकार हो रहे

है। उनके संदर्भ में प्रबंधन क्या कार्यवाही किया गया है आज तक में इसकी भी जानकारी देंवे। प्रबंधन ने कार्यरत् मजदूर स्टाफ कर्मचारियों को सुरक्षा मानस संबंधी, उद्योग सुरक्षा मानस संबंधी कोई भी संयंत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता और न ही कराया गया है। इसके कारण सैकड़ो दर्जनों घटनाएं घट चुकी है, जिससे दो हमारे क्षेत्र के कार्यरत मजदूर कार्य कर समा चुके है और कई लोग आज भी पीढ़ित है। उसको प्रबंधन की ओर से एक भी मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आप उन्हें जनसुनवाई स्वीकृत प्रदान करने के लिए जन सुनवाई लगा रहे है। उद्योग में लगने वाले संयंत्र ईएसपी वगैरह प्लांट में जरूर लगा है। किन्तु प्रबंधन द्वारा पैसे बचाने के नियत ये उसको चलाया नहीं जाता है। ताकि गांव क्षेत्र में दर्ज बड़े–बड़े होते रहे। उनके निगरानी नीति के लिए कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है। मैं माननीय पर्यावरण अधिकारी महोदय पहुंचे है उनके समक्ष बिन्दुओं पर मैं जानकारी चाहता हूॅ और इन्ही बातों के साथ मैं इस कार्यक्रय में आयोजित किया गया सत्या पॉवर प्लांट विस्तार हेतु उस पर कड़ी से कड़ी अपना मूलतः आपत्ति दर्ज कराते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूॅ।

19. **श्री संजय यादव, ग्राम पंचायत कछार पूर्व सरपंच :–** एक छोटे से निवेदन है बडे भैया, जो भी आदमी है यहां सब विरोध करत हे। वो तो लगबे करही बडे भैया। वो मन से ज्यादा परेशानी हमर है कचरा–खाना, हमर जो ग्राम पंचायत कछार में खुले हे। मैं जितना अधिकारी, मुख्यमंत्री जो भी हा, सब से निवेदन करत हव। कचरा खाना ला जहां खाली जगह है। वहां हटाये के कोशिश कर देता। सबसे ज्यादा वो गंदगी वो कचरा हे। शहर के कचरा कछार गांव मा आवत हे। पॉवर प्लांट से ज्यादा खतरा तो वो कचड़ा के गोदाम हवय। वोला निकाले के एक ठीक आवेदन लगाये हव। अधिकारी मन कोशिश करव ओला निकाले के। वो ही निवेदन है, 3–4 ठन आवेदन ऐमा हवय। पॉवर प्लांट वाले भैया हमर गांव मा, स्कूल बनवा दे। गांव के 3–4 ठीक रोड़ ला बनवा दे, कचरा गोदाम के रिकवेस्ट है कचरा खाना ला हटाये के कोशिश करे। ये जो कछार में जो कचरा गोदाम बनाये हे। वो कछार के अलावा खाली जगह लेवय। वोला शिफ्ट करे जाये भैया।

20. **श्री रमेश चंद्र श्याम, गोडवाना महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष :–** जो नजारा आज मेरे को यहां देखने को मिल रहा है, आज यहां पर, वो नजारा मैने कभी नहीं देखा। मैं अभी तक लोक सुनवाई में मैनेजमेंट की ओर से जाता था। मैं एनटीपीसी

का रिटायड एजीएम हूॅ। कोरबा, विन्दयाचल, गुजरात, महाराष्ट्र में वरिष्ट पद पर काम कर चुका हूॅ और लोक सुनवाई में मैनेजमेंट की ओर से गया हूॅ। आप और हमारे बीच ये जो डस्क दीवार लगी है। ये अविश्वास की दीवार है इसको हटाना चाहिए। इसके बिना लोक सुनवाई होना चाहिए। जब नहीं हटेगा तब तक ये दीवार बनी रहेगी। जनता और उद्योगी और शासन की बीच में कोई तरह की दीवार नहीं होनी चाहिए। आगे मैं कुछ बिन्दु रखता हूॅ प्वाइंट है। कोई सा भी उद्योग लगने से पहले इन्वायरमेंट इमपेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। वो इन्वायरमेंट इमपेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट इस उद्योग को लगाने से हमारी पर्यावरण पर क्या असर होगा। उसकी एक लिखित रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट को लिखित रूप में सभी जनता से आपस में उसको साझा किया जाता है। केबल नेर्टवर्क के माध्यम, सामाचार के माध्यम से, उसको शेयर किया गया है कि नई किया गया है, कि नहीं उसका जवाब चाहिए। उसमें इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में कुछ बातो का उल्लेख करना चाहता हूॅ। ये इण्डस्ट्रीज लगाने के पूर्व यहां की जो वायु की जो गुणवत्ता, हवा की जो गुणवत्ता हैं इसमें रिपोर्ट उसमें सल्फर डाई आक्साईड, नाईट्रोजन आक्साईड, पर्टिकुलेट मैटर, धूल कण वो कितने है और इण्डस्ट्रीज लगने के बाद कितना हो जायेगा। इसका निश्चित रिपोर्ट होना और उसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाये किये जायेंगे। दूसरा इसी तरह से जो ग्राउण्ड वॉटर है भूमिगत जल स्त्रोत है। स्त्रोत का भी इण्डस्ट्रीज लगाने से पूर्व उसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता क्या है। पीएच, हार्डनेश और उसको हैवी मैटल बोलते है। वो कितनी है और इण्डस्ट्रीज लगने के बाद इण्डस्ट्रीज के प्रभाव से कितना हो जायेगा और उसको हमको कैसे नियंत्रण करना पड़ेगा। इसकी भी रिपोर्ट उस ईआईए रिपोर्ट में होना चाहिए। तीसरी हमारे आस–पास के गांव वाले कृषि पर निर्भर है उनकी जमीन, उनकी मिट्टी की गुणवत्ता की जांच इण्डस्ट्रीज लगाने के पहले, इण्डस्ट्रीज लगाने के बाद उस पर क्या असर होगा। उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इण्डस्ट्रीज लगाने के पूर्व इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समाजिक सर्वे आसपास के प्रभावित गांव का होना चाहिए। उसमें कितने गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर उनकी आमदनी क्या है, स्त्रोत क्या है। इसका भी स्टडी रिपोर्ट भी लिखित में साझा करना है। इण्डस्ट्रीज लगाने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितने रोजगार होंगे उसका भी रिपोर्ट हर आदमी को यहां अंदाजा करना है। इण्डस्ट्रीज उद्योग में जो रॉ मटेरियल और फाईनल प्रोडक्ट होंगे। उनका भी उल्लेख होना है और इस उद्योग में कितने तरह के हर्जाड्स केमिकल खतरनाक रसायन का भंडारण और हेण्डलिंग कितनी मात्रा में होगी और कितनी

तरह से सुरक्षित हैण्डलिंग किया जायेगा। उसका भी रिपोर्ट इसमें होना चाहिए। इन सभी बातों की बिन्दुओं की जो पहले चरण में जो उद्योग संचालित हो रहा है। उस सब शर्तो का और पर्यावरण बिन्दुओं का ठीक से अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका रिपोर्ट प्रथम चरण में संचालित हो रहा है। उसका कम्पलायन्स रिपोर्ट अनुपालन प्रतिवेदन जनता को आग्रह करना है। ये सब बातें लिखित रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूॅ और ये मुझे लिखित रूप में चाहिए।

21. **श्री सुरेश बंजारे, ग्राम–कछार :–** मुझे कहना तो कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है, लेकिन मेरे कहने से होगा क्या? पर्यावरण विभाग आज नहीं बना है और ये प्लांट आज पहली बार नहीं खुल रहा है। प्लांट आज से 20 साल पहले हमारे क्षेत्र में लगाया गया था और क्षेत्र के तमाम नागरिक जनता इस प्लांट के निहित इसके कार्यो को भलीभांति जानते है। किसी भी चीजों को कहने से कोई फायदा नहीं है अगर प्लांट का प्रबंधक एक इंसान है। उस इंसान का दिल है। उनके भी बाल–बच्चे है तो समझ सकते है तो इस क्षेत्र के कर्मचारियों के उनका भी वर्तव्य एवं कर्तव्य कैसा रहा है। कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। कहने कोई मतलब का नहीं है। अगर वो इंसान है तो समझ सकते है कि वो कैसे इंसानियत इस कार्य क्षेत्र में अपने वर्क की हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत किये है। मैं भी उस प्लांट में 4 साल, एक माह, 16 दिन काम करके गहराईयों को जाना है और जान के बहुत कुछ वहां से देखा है, सीखा है। आज पर्यावरण विभाग 18–20 साल पहले से सत्या पॉवर प्लांट को एनओसी दी थी। यहां आप प्लांट लगा सकते है। पर्यावरण विभाग हर महीने, तीन महीने में, छह महीने में आकर पर्यावरण का फोटो लेते है। सबके सामने फोटो लिये है। क्या उनको यहां प्रदूषण नहीं दिखता। कितने पॉवर का चश्मा लगाते है पर्यावरण वाले, अधिकारी कर्मचारी लोग, पैसे से बिक जाते है। वो पॉवर का नंबर मेरे को मैं जानना चाहता हूॅ। कृपया बता दें, लास्ट में बता दे। इनकी ऑख दिखती है अटैची से, जब सत्या पॉवर का 18 साल पहले का प्रदूषण इनको नहीं दिख रहा है यही पर्यावरण अधिकारी, कछार में पर्यावरण का एनओसी दिये है और कचरा कारखाना कछार में खुला है। माननीय पर्यावरण के समस्त अधिकारी कर्मचारी, एसपी, कलेक्टर जो भी आये होंगे। मैं सबको अपने घर में पर्सनल आमंत्रित करना चाहता हूॅ। जो खाओगे, जहां से खाओंगे मैं मंगवाउंगा आपके लिए खाना। 24 घंटा आप वहां पर बिताकर बताईये। अपने परिवार को बसा के दिखाईये वहां पर। जहां पर हम जीवन जी रहे है। बेवकूफ समझ के बैठे है अटैची में बिक कर, ये अच्छी बात नहीं है। अगर इंसान है। कार्यालय एक

सबका रोजी–रोटी कमाने का एक साधन होता है। हम भी कहीं कमाते है लेकिन जमीन बेचकर जो इंसान आंख बंद करके किसी के जीवन से खिलवाड करता है। वो इंसान नहीं जल्लाद जानवर है और वो ही कार्य हमारे क्षेत्र में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा आंख बंद करके किया जा रहा है। आज यहां पर 20 साल से सत्या पॉवर प्लांट कार्य कर रही है। आज दूसरा यूनिट लगा रहा है। पर्यावरण उसका भी एनओसी देगा। क्योंकि अटैची है, हम गरीबो का क्या है। पर्यावरण के अधिकारी लोग हम लोग को कलेक्टर रेट में रोजी दिलवाते। यहां पर कर्मचारी अगर एक्सीडेंट हो जाता है। उसका कोई मां–बाप नहीं है। उसको हम काम देंगे। 2–4 दस हजार मुआवजा देंगे। बोल के देते है दूसरे दिन टाय–टाय फिश। मेरे सामने में यहां पर 02 एक्सीडेंट हुआ है। मैं था वहां पर आज वो एक्सीडेंट अगर परिवार का इनके कंपनी में एक्सीडेंट होगा तो ये प्रबंधन उस व्यक्ति को मेरे को ला के दिखा दे। मैं आजीवन अपना क्षेत्र छोड़ दूंगा। ये मेरी बातो को स्पष्ट करके दिखला दें कि वो मेरे प्लांट में एक्सीडेंट से मरा हुआ है और मैं इस व्यक्ति को काम दिया है और वो काम कर रहे है या अभी भी मैं उसका सहयोग कर रहा हूॅ। मेरे को दिखला दे, क्योंकि मैने भी वहां पर काम किया है। मेरा खुद का लड़का मैकनिकल ट्रेनिंग में था उसका दोनों हाथ जला था तीन दिन का ईलाज नहीं दिया है। ठीक है मैं अपने खेत बेचकर 5 लाख लगाकर उनका ईलाज कराया। तब मेरा लडका मार्केट में चलने के लायक, तो मेरे जैसे सब सक्षम मजदूर होंगे क्या। जो अपने परिवार का ईलाज करवा सके। कल परसो आया था उस आदमी का नाम था। एक सेंदरी का विक्षित आदमी है जला हुआ बेचारा। काम से भी बाहर कर दिये है और ईलाज का तो पूछिये मत। विक्षिप्त रूप से कम से कम ऐसे में मै समझता हूॅ। सारी घटनाओं को सुनते हुए जानते हुए कम से कम पर्यावरण के अधिकारी कर्मचारी इंसान होंगे तो उनकी आंख खुल जानी चाहिए। उसमें मानवता जग जानी चाहिए। क्योकि इस क्षेत्र के रहने वाले इंसान भी अपने भाई, बेटे अपने बारबर इंसान है और आप लोग कैसे इंसान है इसको देख कर आपकी आंखे बंद हो जाती है। आंखों के चश्में का नंबर बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता है। मेरे इतना कहने से काम रूक जायेगा इतना बात नहीं है। कम से कम इंसानियत तो जग जाये। कहीं इंसान हो आप लोग को सोते समय भी मेरा बात याद आयेगा। किसी ने मुझे श्राप दिया है श्राप के चलते मरूंगा तो कीड़े मरकर मरूंगा। एक दिन मरोंगे, मैं भी मरूंगा। आंख का चश्मा ठंडे दिमाग से उतार कर सोच लो अगर इंसान हो तो। अब सोचने के बाद जो करो। मैं इस प्लांट का विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूॅ लेकिन जो यहां की

असुविधा है। उनको देखकर आप खुद बोलेंगे कि प्लांट नहीं होगी तो प्रदूषण नहीं होगी। प्लांट से प्रदूषण तो होना ही होना है। इंसान को गंदगी और यहां के इंसान को शांति से जीने दीजिये। खासकर माननीय प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से मेरा निवेदन है।

22. **श्री कौशल श्रीवास्तव, सचिव ग्रामीण जिला कांगेस कमेटी :–** मैं त्रिलोक भैया के बातों का समर्थन करना चाहता हूॅ। जो भी परम हमारे बडे भैया बोले है वो बातों को मैं समर्थन करना चाहता हूॅ। प्रबंधन महोदय को मैं ये याद दिलाना चाहता हूॅ। कि वहां पर जितने उद्योग से जो भी प्रदूषण और फसल को बर्बाद हो रहा है। उनको कृपया करके ध्यान दे। त्रिलोक भैया के बातों को समर्थन देना चाहता हूॅ।

23. **श्री उमेश श्रीवास, ग्राम–पेण्डरवा, सरपंच :–** अभी जो बात बोला गया है एक चीज बोलना चाहूॅगा। मेरे गांव की घटना है। अगर आप चाहे तो नाम नोट कर लिजिए। युद निर्मलकर का एक्सीडेंट यही सत्या पॉवर प्लांट में हुआ। उसकी मृत्यु हो गई, सिर्फ सत्या पॉवर 30,000 दिया। आज उसका परिवार दर–दर भटक रही होगी। रोजी मजदूरी करके जीते है वो लोग, मगर सत्या पॉवर प्लांट से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। 20,000 हजार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 20,000 कोई मायने नहीं रखता है। मेरे गांव में अभी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसे 50,000 रूपया मुआवजा दिलवााया था। 20,000 कोई मायने नहीं रखता है। अतः मैं इस पॉवर प्लांट का मैं विरोध करता हूॅ और जो भी बात त्रिलोक भैया मेरे बोले है, मैं उनका समर्थन करता हूॅ।

24. **श्री संतोष कश्यप, ग्राम–सेंदरी :–** मैं किसान हूॅ, छत्तीसगढ़ का यहां पर मैं खेती करता हूॅ, सेंदरी में मेरा खेत है। सत्या पॉवर का विरोध करता हूॅ। यहां पर जो प्रबंधन जन सुनवाई की गई है। इसको ठंड में रखते और वहां पर करते तो आप लोगों को पता चलता। किसान की कितनी दुर्दशा हो रही है। यहां पर जो हम लोग फसल लगाते है, वो पूरा कि पूरा फसल काली हो जाती है। मार्केट में बिकती नहीं है और हमारा जो धरती है, जो मातृभूमि है, वहां पर पूरा का पूरा डस्ट जाकर सब्जियों में जम जाता है और वहां जो सब्जी जाती है मार्केट में, वो आधे

दाम में भी नहीं बिकती है। आप लोग अगर इसकी जनसुनवाई करना है तो इसकी जन सुनवाई ठंड में कीजिये। मैं विरोध करता हूॅ सत्या पॉवर का विस्तार न दिया जाय। उसका विरोध किया जाये और वहां पे प्रदूषण फैल रहा है, किसानों को क्षतिपूर्ति कुछ नहीं मिलता। आप लोग तो अधिकारी है आप लोग से अनुरोध है, कि मैं सत्या पॉवर का विरोध करता हूॅ।

25. **<u>श्री भुनेश्वर प्रसाद शुक्ला, ग्राम–गतौरी :–</u>** मेरे से जब जमीन खरीदा तो कहे मैं नौकरी दूंगा। इनको जो भी आदमी है राम मनोहर अग्रवाल का आज तक में मेरे किसी आदमी को नौकरी नहीं दिया। आज देखो तो वहां पर पूरा पंडाल लगा के रख दिया है। यहां से वहां तक ये कर दिया है। गलत है रे बाबू। मेरे जमीन को एक लाख रूपया में खरीदा है। किसी जमाने में इसका कुछ भी नहीं था। ये मेरे जमीन का पूरा झाड़–वाड काट दिया इसलिए मैं इसको जमीन बेचा हूॅ। नई तो मैं जमीन नहीं बेचता। आज तक नौकरी दूंगा बोला है आज तक नहीं दिया है। क्या देगा ये। पूरा प्रदूषण फैला रहा है गतौरी में, ये बंद करे प्रदूषण को सत्या पॉवर प्लांट बंद करें। इनसे हमको कोई मतलब नहीं है।

26. **<u>श्री मुकेश अग्रवाल,</u>** :–मैं अधिकारियों से एक शब्द पूछना चाहूंगा कि ये जो जनसुनवाई सभा लगाये है, आप लोग, छोटा सा उद्योग लगाते है तो उसके लिए कम से कम 50 ठोक कागज परमिशन की जरूवत पड़ती है। क्या सत्या पॉवर के जो परमिशन सभा को किया है वो शर्ते है, क्या उसने अपने आगे की योजना बनाई है वो सही है इसका जांच किये है बिना जांच किये जन सुनवाई का कार्य किये है। मैं पर्यावरण से एक सवाल पूछता हूॅ छोटा सा कोई उद्योग लगाता है जो कि फ्लाई एश उद्योग के लिए जो प्रशासन के द्वारा सपोट किया जा रहा है। उसके लिए हमको कम से कम 25 ठोक बिन्दुओं के लिए परमिशन लेना पडता है। जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित दिया गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए राखड की उसका समस्या है उसको कम करने के लिए फ्लाई ऐश उद्योग लगाना अनिवार्य है। उसके लिए हमको पर्यावरण से परमीशन का जरूवत है तो क्या सत्या पॉवर प्लांट परमीशन लिया है क्या चंद पैसे के लिए उद्योग लग रही है। जो लोक सुनवाई से निम्न बिन्दुओं को आपके समक्ष रख रहा हूॅ। ये जवाब हमको चाहिए और ये जवाब आज इस मंच पर दिया जाये। मैं इनका समर्थन कर रहा हूॅ।

27. **<u>श्री मयंक कश्यप, ग्राम–सेन्दरी</u> :–** इस क्षेत्र में जो सत्या पावर प्लांट से जो एश आता है फायर का। जो पूरे प्लांट में फैक्ट्रीयों में पूरा डिपोजिट हो जाता है। उसके कारण सभी फसलें रेड कलर की दिखाई देती है। दूसरे ये समझ नहीं आता है कि ये फसल जो है हरा है या काला है। सिर्फ जला हुआ दिखाई देता है दो महीने के बाद में पूरा नवंबर से ले करके फरवरी तक का। आप वहां पर आ करके इंस्पेक्शन कीजिये तभी सही रिपोर्ट आपको मिल पायेगी और ये जो जनसुनवाई है इसका पंडाल वहीं पर लगाये सेन्दरी या फिर कछार में जहां पे पूरे नॉर्थ साउथ से साउथ नॉर्थ में जहां हवा चलती है। उसके कारण पूरा एरिया काला हो जाता है और मैं आज काले रंग का कपड़ा इसीलिए पहनकर आया हूं। हमेशा काला ही पहनता हूं खेत में। क्योंकि सफेद पहनकर आता हूं तो वापस में काला हो जाता है जस का तस और उसके अलावा जो है मास्क जो है कोविड के पहले से तीन–चार साल पहले से पहनता आ रहा हूं। क्योंकि इतना ज्यादा पाल्यूशन है उसको हमारे फेफड़ा जो लम्स है ये सब सरवायर नहीं कर सकता। ये सब चीजों को आप लोग काउंट कीजिए और इसका जवाब दीजिए? और सभी और भी किसान भाई मेरे साथ आये हुए है जो कि इस पूरे राखड़ से परेशान है और क्षतिग्रस्त है और अपना जितना भी हमारा रास्ता निकलता है। मैंने 6 एकड़ में केला लगाया हुआ था। जिसको मैं 5 से 6 रूपये किलो में बेचा हूं। जो कि बाहर में 10 रूपये के ऊपर बिका है। सिर्फ और सिर्फ ये सत्या पावर का जो एश आता है उसके कारण ऐसा हुआ है और मैं उसको समय से पूर्व निकाल दिया हूं जो मेरी फसल थी और अभी भी जो जैसा भी आयेगा ये अक्टूबर का मंथ उसके बाद में पूरा पांच महीने तक का अपन वहां सही रंग का फसल नहीं ले सकते। सारे इमप्लाई जितने काम करते है उनके हाथ जो है पूरे काले हो जाते है। 10 मिनट भी आप टमाटर तोड़ के देखिये या फिर कोई भी सब्जी को हाथ लगाईये। मीठा नीम को खाने जाओगों तो धोने के बाद काला रहता है। बिल्कुल साफ नहीं होता। तो ये सब चीजे है। जो आप के देखेंगे या फिर सुरेन्द्र कश्यप जी का मैं पूर्ण सपोर्ट करता हूं और इस कंपनी का विरोध करता हूं कि इसका विस्तार न किया जाये और पूर्ण रूप से बंद किया जाये या फिर पूरा पूरा फालो किया जाये कि ईएसपी और जो भी चिमनी है उसके हाईट बढ़ाये और ज्यादा हुआ था इसका डस्ट और बाकी राधेश्याम शर्मा जी जो भी बोले है उसका सपोर्ट कर रहा हूं और बाकी भी किसान भाई मेरे साथ आये हुए है, उनका भी विरोध दर्ज करवायें जाये।

28. **श्री गंगा चरण कश्यप, ग्राम–कछार :–** मैं भी विस्तार के विरोध में हूं। हो सके तो बंद हो जाये तो ज्यादा अच्छा है। परेशान है फैक्ट्री से।

29. **श्री संजय कश्यप, ग्राम–कछार :–** मैं भी विरोध करता हूं। किसान हूं मैं भी।

30. **श्री रामाधार, ग्राम–लोफन्दी, सरपंच :–** मैं कंपनी से चाहता हॅू कि आठ दस गांव है आसपास पर। इसमें स्कूल की मरम्मत है, रोड की मरम्मत है, पानी की व्यवस्था है और जो पुराना वादा किये हुये है और जो अभी का है पूरा करना चाहिए।

31. **श्री अनिल यादव, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत जलसो** :– मैं, सत्या पॉवर प्लांट, यहां जितना भी प्लांट लगे हुए है। मैं अधिकारियों से पूछना चाहत हव आज से पूर्व लगभग वर्ष 2004–05 से सत्या पॉवर प्लांट, सुधा एग्रो, कोल वॉशरी राजू कोल करके खुले हुए है। सब विरोध करने के बाद भी खुल चुके हे। आज हमन ल मालूम भी हे, विरोध होय हे, ओखर बावजूद भी चालू होय हे। लेकिन क्या इस क्षेत्र के जनता, आम नागरिक ओखर जीने के लिए प्लांट को लगा दिये है, ओखर भविष्य के कोई उद्धार हे, सुधार हे। क्योंकि सुधार भी आपके पास कोई सुविधा नहीं है। जनसुनवाई करें, के बाद प्लांट चालू हो जाहय। प्लांट लग जाहय ओखर बाद डस्ट के समस्या से आम नागरिक जूझत रही। मोर से पहली लगभग सब कोई विरोध कर चुके हे। मैं भी विरोध करत हव ओ बात ल ओखर तरफ के शायद ए मोर के आसपास 10 पंचायत हे जलसो, भरारी, सेमरताल, सेमरा, मोहतराई, सुलकवा, पेण्डरवा, बोदरिया, रमतला, कछार, सेंदरी सब पचायत एखर सेती कहीं नही प्रभावित। लेकिन आज तक कोई भी पंचायत म जन सुविधा के नाम से, ग्राम पंचायत के सुविधा के नाम से, आपके जो सी.एस.आर. के राशि कहीं एक भी पंचायत म उपलब्ध नहीं है मैं खुद पांच साल सरपंच रहे हव। मोला खुद कहीन कोई प्रकार के फैक्ट्री, प्लांट से मोर गांव म सी.एस.आर. मद के राशि नहीं दिये गईस। जबकि सुधा एग्रो ग्राम पंचायत जलसो के जमीन म लगे हुए हे। राजू कोल ग्राम पंचायत जलसो के जमीन में लगे हुए हे, ओखर बाद भी सी.एस.आर. मद के राशि नई मिले। तो प्लांट किस काम के। का चीज बर लगाथे प्लांट। मोर गांव के व्यकित ल ओमा रोजगार मिलना चाहिए। शासन के नियम है यदि कहीं प्लांट, फैक्ट्री लगा है तो वहां के व्यक्ति को रोजगार दिया जाये। जमीन के मालिक मन ल कम से कम रोजगार मिलना चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं हो पावत

हे। फिर ये प्लांट लगाये से फेक्ट्री लगाये से क्या मतलब। आज कहीं न कहीं सब भाई इसी से भूखी है कि प्लांट तो स्थापित है लेकिन आस–पास के लोग ल रोजगार नई मिल पाये। सिर्फ डस्ट के सेवा करे ल परत हे ओला। खाना म, घर म, पानी के समस्या। आज आपके प्लांट लगते लगते धीरे–धीरे हमर समय म जल स्तर मुश्किल से 50 फीट 40 फीट म वाटर लेबल पूरा रहे। लेकिन आज 100 फीट 120 फीट म चले गए हे वाटर लेवल। आने वाले समय में बड़े प्लांट लगा रहे हो निश्चित ही पानी के समस्या बढ़ही। हमर आस–पास के हेण्डपंप म पानी आना संभव नहीं है त एखर लिये आप मन के पास उतना तो हे के हर गांव म हजार–हजार फीट पांच–पांच सौ फीट बोर करा के देहव के कुछ है तो लिखित में बतावा ग्राम पंचायत के आदमी ल, ग्राम सभा ल। काम करके दिखाओं तो पहले प्लांट म काम लगाये से पहली आस–पास के क्षेत्र म रोजगार सुविधा होना चाहिए। 2009–10 म स्पंज आयरन म ही मोर गांव के गोवर्धन. निर्मलकर के डेथ होय रहीसे खोदाई काम करत रहीसे ओ ह स्टॉफ रहीसे। ओखर भी हमन लंबा चौड़ा विरोध करेन। ओखर लाश ल वहीं छोड़ दे रहेन ओखर बाद जाके लगभग दस –पंद्रह हजार ओला दिये गये रहीस मौजा के रूप म। ओखर बाद लाश ल लेके गये रहीस। अउ आज तक ओखर लड़का हे, ओला रोजगार नई दिए गए हे तो का प्लांट लगाए बर स्टॉफ ल रखे हव तो प्लांट के अंदर ओ स्टॉफ के यदि कोई दुर्घटना हो सकत है तो कोई सुरक्षा निधि है है तो सुरक्षा निधि की राशि क्यों नहीं दिये जाये। फिर ओखर घर में फेक्ट्री में नौकरी मिलनी चाहिए। ये भी सुविधा नई रखे हव तो मैं अधिकारी मन से निवेदन करत हव आज ये सब चीज ल मौखित रूप से अउ लिखित रूप से आवेदन स्वीकार करव अउ आने वाले समय म ये प्लांट जारी है तो प्लांट म कोई बुरा भड़काव होय रही त निश्चित वो परिवार ल भरण–पोषण बर राशि मिलना चाहिए। अउ ओखर परिवार के सदस्य, यदि है तो ओला रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बरोजगारी के क्षेत्र है। गांव म सब गरीब है अउ सब ल अपन जीवन–यापन कर, के अधिकार हे, तो मैं यहीं निवेदन करत हव और मैं जिस क्षेत्र से सत्या पावर से निवेदन करत हव आप क्षेत्र के विकास बर सी.एस.आर. मद के राशि पूर्ण रूप से सब पंचायत ल जारी होवे। अउ जो जो पंचायत म हानि होवत हे ओ पंचायत म विकास होवे। आपके नाम से वहां लिखाए ग्राम पंचायत जलसो, गतौरी, मोहतराई के आप सी.एस.आर. मद से ये काम दिये रहेव जे म गांव सुघर होईस, विकास होईस। आज ग्राम पंचायत गतौरी के हाल देख लेवा यहां बीस साल से प्लांट फेक्ट्री लगे हुए हे ग्राम गतौरी ल देखा जस के तस। कहीं कोई प्रकार के विकास नहीं है गतौरी म। निवेदन करत हव

अउ विरोध भी करत हव। यदि आप प्लांट लगात हा तेखर पूर्ण रूप से पहली संरक्षण होय। वृक्षारोपण होय। आस–पास म कॉलोनी होथे हे ओम म वृक्षारोपण अउ रोपाई होव ओखर बाद प्लांट स्थापित करा।

32. **<u>श्रीमति त्रिवेणी बाई मरकाम, सरपंच ग्राम पंचायत कछार</u> :–** तो हमर गांव म पूर्व सरपंच भईया बोलिस हे कचरा के बारे म, तो सहयोग मांगत हन हमन भईया मन ल। भईया हमर कछार रमतला ल गोदनामा ले लेहा।

33. **<u>श्री अंकित गौरहा, जिला पंचायत संदस्य, क्षेत्र कमांक 03</u> :–** 10 किलोमीटर दूरी पर मेरा ग्राम पंचायत सेमरा है। यह लगभग 45 एकड़ भूमि में दो फसली कृषि का कार्य मैं करता हूं और इससे पूर्व भी जब भी सुधा एग्रो उन्होंने बहुत सारे वादे किये। किसानों के समस्याओं को लेके, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समस्याओं को लेके, मजदूरी की समस्याओं के लेके। लेकिन कभी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं संचालित नहीं हो पाई, ओ इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। आज यहां इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक जहां भी है यह यहां के लिए दुर्भाग्य की बात है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उनकी मनसा यहीं है कि उद्योगों का विकास हो। लेकिन निर्धारित नीति और नियमों के साथ। अगर निर्धारित नियमों और नीति के साथ ही उद्योग को विस्तार के लिए अनुमति दी जाती है तो यहां मैं मानता हूं कि स्थानीय लोगों को और जितने भी जनप्रतिनिधि है क्योंकि मैं एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं यहां के स्थानीय सरपंचों से, जनपद सदस्यों से मेरी चर्चा हुई है ओ सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं है कि जो भी शासन के स्तर के निर्धारित नियम होते है उद्योगों के लिए, पर्यावरण के लिए उनका पालन निर्धारित पैमाने के अनुरूप नहीं हो पाता। वह ही इस क्षेत्र के दुर्दशा और दुरमान बेकार है तो सभी अधिकारी सचेत रहे और अगर इस प्लांट को इस कार्य की अनुमति मिलती तो इन चीजों की पूरी विस्तार से ध्यान रखा जाए और विधिवत नियम पूर्वत इनका पालन कराया जाये, तो इस स्तर पर हमें कभी काई आपत्ति नहीं होगी।

34. **<u>श्री राजेन्द्र साहू, विधायक प्रत्याशी बेलतरा विधानसभा क्षेत्र</u>** :–आज यहां पर मैं बहुत समय से बैठा हूं और सुन रहा था कि यहां के स्थानीय नेताओं के द्वारा सिर्फ एक ही बात पर फोकस की जा रही थी। सभी के एक ही बात आई कि पावर प्लांट सत्या इस्पात से निकली हुई जो डस्ट है आस पास गांवों में फैला हुआ है। चूंकि

मेरा गांव भी सेंदरी पड़ता है मैं भी प्रभावित हूं और मैं भी किसान आदमी हूं। निश्चित ही सभी का जो मांग है। किसी ने बोला चिमनी को ऊपर कर दिया जाये, किसी ने बोला डस्ट को जीरो कर दिया जाये और हमारे जो किसान है आस–पास के जितने भी सत्या पावर प्लांट से ग्रसित है ओ अपनी बात रखिए। कईयों ने यहां पर कुछ राजनीति विरोध की भी बात कहीं उनको मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक नहीं है बीजेपी का विधायक है, और हमारा ऐसा मानना है कि आज यहां उनका अनुपस्थिति उनका कहीं न कहीं आम सहमति है। हम इस पावर प्लांट के विरोध में नहीं है। लेकिन विरोध में हम इस बात को यहां पर करे निश्चित ही आप लोगों के सामने यह कहना चाहूंगा। कि सत्या पावर प्लांट का विस्तार होता है तो विभिन्न गांवों में जो सुविधाएं शासन सुनिश्चित करती है कई बिंदुओं में जैसे – पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, वृक्षारोपण, गांव में स्वास्थ्य सेवा, स्कूल में स्वास्थ्य सेवा, स्कूल में बच्चों के लिए पंखों की व्यवस्था और हमारे जो सी.एस.आर. का जो मद होता है जो गांव विकास में काम आता है। तो हमारे कई सरपंचों ने अपनी बात यहां रखा कि वह मद चाहिए और गांव के विकास में लगना चाहिए तो निश्चित ही इस मंच के माध्यम से अधिकारियों और यहां के कर्मचारियों को इस ओर ले जाना चाहूंगा कि जो मद है गांव वाले को मिलना चाहिए जो अधिकार है गांव वाले को। जो स्वास्थ्य सेवा है या किसी प्रकार का और जो सुविधा है। उनको मिलना चाहिए। हम कहीं पर इसका विरोध पर नहीं है। कई हमारे राजनीतिक बंधू यहां पर अपनी बात रखकर चले गए। जो बात रखकर चले गए उनको सुनना भी चाहिए। एक तरफ बोलते है कि हम इस सत्या पावर का विस्तार में विरोध नहीं है हमारा कोई विरोध नहीं है। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगना चाहिए। उद्योग से विकास होता है। यह कोई उद्योग की विकास की बात कहे या विरोध की बात कहे। और जो यहां से बोल के गए है अगर मेरी बात सुन रहे है उन तक मेरी बात जरूर ही पहुंचे कि बात एक होनी चाहिए। यहां गुरू भाई हो सकते है लेकिन आप यहां एक जनप्रतिनिधि हो अपना ही बात रखिए। हम यहां पर जितने भी मेरे साथ सरपंच बैठे है उनसे से भी मेरी बात हुई। सबका यहीं कहना है कि सत्या पावर का विस्तार से हमे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मद होता है जो फेसेलिटी सरकार सुनिश्चित करती है ओ फेसेलिटी गांव तक पहुंचना चाहिए। गांव के आदमी को मिलना चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और एक बात और आई है कई लोग एक्सीडेंट हुए है तो सत्या पावर के डॉयरेक्टर से कहना चाहूंगा कि ऐसे

लोगों को ध्यान में रखे उसका इलाज कराए। उसके घर में जो सुविधा है जितने दिन तक बेड रेस्ट में रहते है उतने दिन तक मजदूरी कलेक्टर रेट में दिया जाये।

35. **श्री दरशथ सोनवानी, ग्राम–गतौरी :–** मेरा कहना यहीं है कि मद सी.एस.आर. का आता है मूलभूत सुविधा ओ हमको नहीं मिल पा रही है। समर्थन है पूरा। लेकिन मूलभूत सुविधा है मिलनी चाहिए। हमारे गांव के आस–पास के गांव के काम कर रहे है। ऐसा थोड़ी है कि बाहर के कर रहे है।

36. **श्री राजेन्द्र साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत सेमरताल :–** सब के गोठ ल सुने हन, समझे हन, देखे हन। पावर प्लांट सत्या पुराना लगी हुई है। ओखर विस्तार बर जनसुनवाई होवत हैं। जतना अधिकारी बैठे हवा तेन ल मोर मांग हे। सी.एस.आर. मद जो होथे जिला कलेक्टर के पास होथे। तो मांग अतके हवे ओला ग्रामीण बेल्ट म जहां प्रभावित क्षेत्र है वहां ल मद ल दिये जाये। मंच के माध्यम से मांग है कि मुख्यमंत्री जी अभी आत्मानंद स्कूल के संचालन करत हे। जेमा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना हावय। तो ये जतना बइठे अधिकारी ल मांग हे मोर के एही मंच म ओ स्कुल के स्थापना होना चाहिए और मौसम जैसे बरसात के मौसम हे तो वृक्षारोपण लगाय बर ट्री गार्ड के व्यवस्था होना चाहिए। अउ पहली से विस्तार हे खोलत हे ओहा कोई दिक्कत परिशानी नई हे अउ न आपत्ति हावे।

37. **श्री जमुना प्रसाद मंगेशकर, ग्राम–गतौरी** :– पड़ोसी गांव वालों से कोई दिक्कत नहीं है सर। रहा सवाल ये जितना बेरोजगार पड़ा है हमार आस–पास गांव में कार्य है तो गांव के आदमी को या पड़ोस के आदमी को लेना चाहिए। सब विदेश से आ रहे है तो हमारे गावं का क्या तरक्की होईस। गांव के तरक्की के लिए गांव को रखा जाये। बेराजगार को रोजगार दिया जाये। कोई आपत्ति नहीं है।

38. **श्री आसीफ जावेद, कांग्रेस उपाध्यक्ष बेलतरा विधानसभा** :– पर्यावरण की बात हो रही है मैं जितने भी अधिकारी मौजूद है उनको बोलना चाहता हूं कि आस–पास के कुल 14–15 गांव है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। सर आप लोग एक चीज कर दीजिए कि 50 प्रतिशत सिर्फ वृक्षारोपण का प्लानिंग कर दीजिए। जितने युवा यहां पे है आस–पास के दस गांव के उनकी टीम बनाके, उनकी संरक्षण, उनकी निगरानी में। मैं युवा हूं युवा की बात कर रहा हूं। तो उनके लिए ही मैं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ शिक्षा, प्लांटेशन और चिकित्सा ये तीन चीजें कर दीजिए लगभग लगभग 50 प्रतिशत समस्या यहां की लोगों की खत्म हो जायेगी। ये सब चीज से परे है और ये

इतनी बड़ी काम नहीं है कि इसको नहीं कर सकते। चूंकि पर्यावरण विभाग यहां मौजूद है इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। के प्लांटेशन के लिए 50 परसेंट की व्यवस्था आप कर दीजिए प्रत्येक गांव में। या तो किसानों को अगर आप बोलेंगे वृक्षारोपण के लिए न सर। जितने किसान यहां बैठे है न आज के डेट में सब आधुनिक कृषि करते है। हार्वेस्टर चलती है इनकी खेतों में तब पेड़ नई रह पाता है और हार्वेटर के नाम से पेड़ हटाना पड़ता है। आज का किसान आधुनिक खेती करना चाहता है। प्लांटेशन और वृक्षारोपण का बात नहीं होगा सर तो कोई भी चीज कोई भी उद्योग कहीं पे भी सक्सेसफूल नहीं हो पायेगा। मैं सिर्फ प्लांटेशन के लिए यहां बोल रहा हूं ओर युवाओं के लिए बोल रहा हूं। ओ आपका साथ देंगे। आपके साथ खड़े होंगे। हर गांव, हर क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होगा।

39. **<u>श्री भजन सिंह ठाकुर,</u> :–** सत्या पावर प्लांट के विस्तार से मुझे कोई परेशानी नहीं है। पंचायतों को भी नहीं है। लेकिन जो आस–पास के नवयुवक है जिनको रोजगार चाहिए। बहुत दिनों से ऐसा है कि रोजगार के लिए भटक रहे है तो सत्या पावर से मेरा अनुरोध है कि उनको थोड़ जॉब देना चाहिए और पंचायतों की जो मूलभूत सुविधाएं है, नाली है, रोड है इसके विस्तार के लिए पूरा सहयोग प्रदान करे।

40 **<u>श्री गुलशन कुमार भोई, ग्राम –सेमरा</u> :–** युवा मनके सबसे बड़े समस्या आज के डेट में रोजगार के है और कंपनी क्षेत्रीय आदमी मन ल किस टाईप के रोजगार देही एखर बारे म जानकारी चाहत हव।

41. **<u>श्री स्वप्निल अग्रवाल</u>** :– सर ये जानना चाहता हूं कि आज ये कोई भी पॉवर प्लांट या कोई भी इण्डस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों की जाती है। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से डेव्हलप है। आज अगर एक्सटेंशन किया जाता है तो कितना पानी यूज करेगा ये प्लांट। जमीन का पानी कहां जायेगा और खेती के लिए पानी कहां से आयेगा। इसका क्या प्रावधान किया गया है। क्या सी.एस.आर. मद या अन्य मद को सहयोग प्रदान करेगा यह प्लांट। उसके लिए क्या जमीन में पानी ल सकते है। खाली क्या प्लांटेशन करने से पानी आ सकता है या फिर जितने भी डस्ट उड़ती है कोयले की उसका प्रबंधन कर सकते है। उसका क्या प्रावधान किया जायेगा। सर मुझे ये बताईये इसके पहले एमएसडब्ल्यू संरक्षण में प्लांट बनाया जा रहा था उस समय बोला गया था कि प्लांट बनाएगा और पर्यावरण सुरक्षित रखेगा। आप वहां दो

घंटा रहकर देख लीजिए। उस समय भी यहीं प्राबलम आई थी। ग्राउण्ड वाटर लेवल को कैसे मेनटेन करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट को कैसे मेनटेन करेंगे। आपके हाथ में थोड़ी है इन्वायरमेंट मेनेटन करना और ग्राउण्ड वाटर मेनटेन करना। एक प्लांट में कितनी पानी लगता है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। एक्सटेंशन होगा तो कितना पानी लगेगा। उनके लिए पानी कहां से आयेगा। जब सिरगिट्टी, सिलपहरी को डेव्हलप किया गया है इण्डस्ट्रीयल सेक्टर के लिए बिल्हा के आसपास में। एक जगह पे इण्डस्ट्री लेवल होनी चाहिए न। तब यहां गांव में जमीन है सस्ती भाव में इण्डस्ट्रीयल सेक्टर से भगाके इण्डस्ट्रीयल सेक्टर डेव्हलप किए गए है। जहां पर न तो रोड की सुविधा है न कुछ की सुविधा है। पानी की सुविधा है इसलिए यहां डेव्लप कर दिया जाये। गतौरी में जाके देखिए वहां वहीं स्थति है। एक्सटेंशन हुआ है गांव वालों में फेवर में नहीं है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 3:00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री सुधीर सिंग, पायनियर इन्वायरो लेब्रोट्रीज एण्ड कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद, मेसर्स सत्या पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गतोरी एवं सेन्दरी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 3:30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 10 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 41 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100–150 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 70 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)